भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 387
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पीड़ित केंद्रित न्याय

387. डॉ संबित पात्राः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नए आपराधिक कानूनों में पीड़ित केन्द्रित न्याय का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कानूनों में शुन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट (जीरो एफआईआर) सम्मिलित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संगत उपबंधों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): जी, हां। नए आपराधिक कानूनों में पीड़ित-केंद्रित प्रावधानों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है ।

(ग) और (घ): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 173 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि किसी संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित प्रत्येक सूचना, चाहे वह अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दी जा सकती है।

****

लोक सभा अत.प्र.सं. 387 दिनांक 04.02.2025

अनुलग्नक (पृष्ठ-1)

नए आपराधिक कानूनों में पीड़ित-केंद्रित न्याय से संबंधित प्रावधान

i. घटनाओं की रिपोर्ट ऑनलाइन करना: अब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है। इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित हो जाती है, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई हो जाती है।

ii. किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना: जीरो एफआईआर की शुरुआत के साथ, कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकता है। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म हो जाती है और अपराध की तुरंत रिपोर्ट करना सुनिश्चित होता है।

iii. एफआईआर की निःशुल्क प्रति: पीड़ित, एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

iv. गिरफ्तारी के समय सूचना देने का अधिकार: गिरफ्तारी की स्थिति में, व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता और सहयोग सुनिश्चित होगा।

v. गिरफ्तारी की जानकारी का प्रदर्शन: अब प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिले में आवश्यक रूप से एक नामोदिष्ट पुलिस अधिकारी मौजूद होगा, जिसकी रैंक सहायक पुलिस निरीक्षक से नीचे का नहीं होगी और गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों की जानकारी अब प्रत्येक पुलिस स्टेशन में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। यह अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा करता है और हिरासत में हिंसा तथा पुलिस द्वारा अवैध नजरबंदी की घटनाओं का प्रशमन करता है।

vi. पीड़ितों को प्रगति संबंधी अपडेट: पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामले की प्रगति के बारे में अपडेट प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान पीड़ितों को सूचित रखता है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।

vii. पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति: अभियुक्त और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट/आरोपपत्र, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है।

viii. गवाह संरक्षण योजना: नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने, कानूनी कार्यवाही की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए गवाह संरक्षण योजना को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया है।

ix. पुलिस स्टेशन जाने से छूट: महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के किशोरों, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी गई है।

x. यह अनिवार्य किया गया है कि बीएनएसएस की धारा 360 में अभियोजन को वापस लेने से पहले पीड़ित के पक्ष को सुना जाए। पीड़ित के पक्ष को सुने जाने के अधिकार की सांविधिक मान्यता आपराधिक न्याय प्रणाली के न्याय केंद्रित दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मामलों को वापस लेने से संबंधित कार्यवाहियों में पीड़ित के पक्ष को अनिवार्य रूप से सुनने से, न्याय प्रणाली अपराध से सीधे तौर पर पीड़ित लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति अधिक जवाबदेह बन गई है।

*****